



छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

—:: मंत्रालय ::—

महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

—: आदेश :—

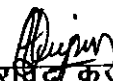
अटल नगर, रायपुर, दिनांक 25/09/2018

क्रमांक 916 / F-2014-04-00769 / ब-4 / चार :- वित्त विभाग में पदस्थ अधिकारियों की अवकाश अवधि में शासकीय कार्य को सुचारु रूप से संपादित किये जाने हेतु लिंक अधिकारी के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 98 / F-2014-04-00769 / ब-4 / चार, दिनांक 18.04.2018 के पैरा-1 के तालिका के सरल क्रमांक 6, 7 एवं 14 में आंशिक संशोधन करते हुए वित्त विभाग में पदस्थ अधिकारियों की अवकाश अवधि में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 3 एवं 4 में अंकित अधिकारियों को लिंक अधिकारी नामांकित किया जाता है :-

क्र	अधिकारी का नाम	लिंक अधिकारी	लिंक अधिकारी की अनुपस्थिति में द्वितीय लिंक अधिकारी
1	2	3	4
6	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	श्री मोतीराम खुटे
7	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा	श्री सुरेश वर्मा
14	श्री राजशेखर शर्मा	श्री सीताराम तिवारी	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा

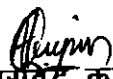
2- उक्त अधिकारियों द्वारा अवकाश में जाने के पूर्व अपने लिंक अधिकारियों से अनौपचारिक चर्चा कर सुनिश्चित करेंगे कि उनके अवकाश अवधि में प्रथम लिंक अधिकारी एवं द्वितीय लिंक अधिकारी अवकाश में तो नहीं है अथवा जा रहें हैं । इसका उल्लेख संबंधित अधिकारी द्वारा अपने अवकाश आवेदन पत्र में संवहित करना अनिवार्य होगा ।

3- उक्त लिंक अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारी के अवकाश/भ्रमण की अवधि में अतिआवश्यक नस्तियों का निराकरण किया जाएगा तथा संबंधित अधिकारी अवकाश पर जाते समय अपने लिंक अधिकारी को महत्वपूर्ण कार्यों/नस्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी देने के पश्चात् ही मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे ।
(प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित)


(अरविंद कुजूर)
अवर सचिव

पू. क्रमांक 917 / F-2014-04-00769 / ब-4 / चार, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 25/09/2018
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, वित्त के स्टॉफ ऑफिसर, मंत्रालय,
 2. सचिव/अपर सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
 3. संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
 4. अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय,
 5. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय,
- की ओर सूचनार्थ ।


(अरविंद कुजूर)
अवर सचिव